

**न्यायालय: श्री ०१ कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहुर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-22 / 2013

संस्थित दिनांक-07.01.2013

फाईलिंग क्र. 234503002122013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

1-रमेश कुमार परते पिता मिठू सिंह परते, जाति गोण्ड, उम्र- वर्ष,
निवासी-ग्राम छपरटोला(माटे), थाना बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

2-यशवन्तदास चन्द्रमा पिता पंचमदास चंद्रमा, जाति पनिका, उम्र- वर्ष,
निवासी-ग्राम छपरटोला(माटे), थाना बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-26 / 04 / 2016 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323 / 34, 506 (भाग-2) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-03.01.13 को रात्रि 8-9 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम दमोह में सोसाईटी भवन के पीछे लोकस्थान या उसके समीप फरियादी टेकमसिंह को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फरियादी टेकमसिंह को हाथ-मुक्कों से मारकर साधारण उपहति कारित किया तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी टेकमसिंह धुर्वे ने पुलिस थाना बिरसा आकर दिनांक-04.01.2013 को यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम रेलवाही रहता है तथा खेती-किसानी का कार्य करता है। वह दिनांक-03.01.13 की रात्रि में दमोह सोसाईटी का चुनाव देखने गया था, तो रात्रि 8-9 बजे ग्राम छपरटोला (माटे) के रहने वाले रमेश परते व यशवंत चंद्रमा ने उसका मुंह बंद

करके सोसाईटी के पीछे अंधेरे में ले गए और पुरानी रंजिश को लेकर उससे बोले कि मादरचोद तूने मेरी ट्रेक्टर को पलटाया था, जिससे नुकसान हुआ है और उसे गंदी-गंदी गालियां देते हुए फर्श पर नीचे पटक दिया, जिससे उसे सिर व दाईं तरफ आंख के नीचे चोट आई थी। तभी पीछे तरफ सुरेश धुर्वे व विजय धुर्वे आए और उन्हें देखकर रमेश व यशवंत उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध कमांक-02/2013 अंतर्गत धारा-294, 323, 506, 34 भा. द.सं. का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान फरियादी की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा साक्षियों के कथन लिये गये। पुलिस द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 506(भाग-2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण चाहा है। आरोपीगण ने धारा धारा-313 दं.प्र. सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण ने अपनी प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1- क्या दिनांक-03.01.13 को रात्रि 8-9 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम दमोह में सोसाईटी भवन के पीछे लोकस्थान या उसके समीप फरियादी टेकमसिंह को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

2- क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फरियादी टेकमसिंह को हाथ-मुक्कों से मारकर साधारण उपहति कारित किया ?

3- क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 व 3 का निष्कर्ष :-

5— फरियादी टेकमसिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना दिनांक को आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की थी। फरियादी ने अपने मुख्यपरीक्षण में अश्लील गालियां उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के विषय में कोई कथन नहीं किया है। अभियोजन साक्षी सुरेश (अ.सा.2), जोहित (अ.सा.3) ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। न्यायालय में परिक्षित शेष साक्षियों के साक्ष्य में भी ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है कि घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी तथा अन्य सुनने वालों को अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया गया हो। इसी प्रकार उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि आरोपीगण द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया गया हो। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-2 में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 का निष्कर्ष :-

6— टेकमसिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके बयान देने से लगभग एक वर्ष पूर्व रात्रि 9-10 बजे दमोह सोसाईटी की है। वह अपनी गाड़ी के पास खड़ा था, तभी आरोपीगण ने उसे पकड़कर धक्का दिया और हैण्डपम्प पर गिरा दिया, जिससे उसे सिर पर चोट आई थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाना बिरसा में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 के अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने घटना का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी रमेश से उसकी पूर्व से रंजिश है। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि उसने स्वयं आरोपीगण के साथ गाली-गलौज की थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि विवाद में आरोपी रमेश ने अपने बचाव में उसे धक्का दिया था, तो वह गिर पड़ा था तथा रंजिश के कारण उसने आरोपीगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

7— सुरेश कुमार (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-03.01.2013 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त

दिनांक को फरियादी टेकमसिंह की मौखिक रिपोर्ट पर प्रधान आरक्षक राजेश सनोडिया द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-02/13, धारा-294, 323, 506/34 भा.द.वि. के तहत लेख की गई थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर प्रधान आरक्षक राजेश सनोडिया के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह साथ में कार्य करने के कारण पहचानता है। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा दिनांक-05.01.13 को टेकमसिंह की निशानदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी टेकमसिंह, साक्षी सुरेश, जोहित, विजय, ईश्वरी के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये थे। दिनांक-06.01.2013 को आरोपीगण को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 व 5 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने गवाहों के कथन अपने मन से लेख किये थे। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने विवेचना की कार्यवाही अपने मन से की थी।

8- डॉ. एम. मेश्राम (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-04.01.13 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बिरसा के सैनिक दलपत क्रमांक-304 द्वारा आहत टेकमसिंह पिता छत्तरसिंह, उम्र-35 वर्ष, निवासी रेलवाही को उसके समक्ष मुलाहिजा हेतु लाया गया, जिसमें आहत की नाक के दाईं ओर एक खरोंच थी, माथे के दाईं ओर एक सूजन, सिर के पीछे की ओर एक कटी-फटी चोट थी। उक्त साक्षी ने अपने अभिमत में कथन किया है कि आहत को आई सभी चोटें किसी कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी तथा उसके परीक्षण के 12 से 24 घंटे के अंदर की थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार साक्षी ने आहत को साधारण चोट आने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में की है।

9- अभियोजन साक्षी सुरेश (अ.सा.2) तथा जोहित परते (अ.सा.3) ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है एवं उपरोक्त साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने घटना का समर्थन नहीं किया है।

10- प्रकरण में फरियादी टेकमसिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपीगण द्वारा मारपीट किये जाने का कथन किया है और मारपीट के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 दर्ज कराए जाने का कथन किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट

में घटना दिनांक-03.01.2013 है और थाने में सूचना प्राप्त होने की दिनांक-04.01.13 है। सूचना में विलंब किये जाने का कारण रात्रि होने से और साधन न होने से देरी होना लेख है। फरियादी आहत टेकमसिंह का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक-04.01.2013 को चिकित्सक साक्षी डॉ. एम. मेश्राम (अ.सा.4) द्वारा किया गया था। उसने घटना के दूसरे दिन आहत टेकमसिंह को 24 घंटे के अंदर साधारण प्रकृति की चोट आना अपने चिकित्सीय रिपोर्ट में पाया था। साक्षी ने चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 को प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष द्वारा यह आधार अवश्य लिया गया है कि रंजिशवश फरियादी ने आरोपीगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, परंतु यदि आहत टेकमसिंह के प्रतिपरीक्षण पर विचार किया जावे तो आरोपीगण की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि अपने बचाव में आरोपी रमेश ने फरियादी आहत टेकमसिंह को धक्का दिया था और गिरने से उसे चोट आई थी। इस प्रकार विवाद का होना और विवाद में आहत को चोट आना प्रमाणित है। उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः आरोपीगण को भा0दं0सं0 की धारा-323 के अपराध में सिद्ध दोष पाते हुये दोषसिद्ध किया जाता है। आरोपीगण द्वारा किये गए अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं इस प्रकार के अपराध से सामाजिक व्यवस्था के प्रभावित होने से उन्हें परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु प्रकरण कुछ देर बाद पेश हो।

(श्रीष कैलाश शुक्ल)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,

जिला-बालाघाट

पुनश्च-

11- दंड के प्रश्न पर आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण कम उम्र के नवयुवक हैं। ऐसी स्थिति में उनके साथ नरमी का व्यवहार किया जावे।

12- आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। प्रकरण वर्ष 2013 से लंबित है। अपराध सामान्य मारपीट प्रकृति का है, अत्यंत गंभीर प्रकृति का नहीं है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को सांकेतिक दंड दिया जाना उचित होगा। अतः आरोपीगण को भा.दं.सं. की धारा-323/34 का अपराध किया जाना प्रमाणित पाए जाने से न्यायालय अवसान अवधि तक का कारावास तथा 100-100 रुपये (सौ रुपये प्रत्येक आरोपी) अर्थ दंड से

दंडित किया जाता है। अर्थदंड न चुकाये जाने की दशा में आरोपीगण को 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे। अर्थ दंड की राशि में से 100/-रुपये प्रार्थी टेकमसिंह को दं.प्र.सं. की धारा 357(ख) के अंतर्गत प्रतिकर के रूप में दिलाया जावे।

- 13- आरोपीगण का सजा चार्ट अंतर्गत धारा-428 दं.प्र.सं. तैयार किया जावे।
- 14- प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।
- 15- आरोपीगण को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क तत्काल प्रदान की जाये।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

स्थान-बैहर,

दिनांक-26.04.2016

सही / -

(श्रीष कौलाश शुक्ल)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,

जिला-बालाघाट